भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3903
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27 अग्रहायण, 1946 (शक)

व्यक्तिगत डेटा की चोरी

3903. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार व्यक्तिगत डेटा को चोरी की रोकने में पूरी तरह से विफल रही है जिसके कारण साइबर अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो व्यक्तिगत डेटा की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ग) क्या सरकार ने व्यक्तिगत डेट की जानकारी/लीकेज के स्रोतों की पहचान की है और यदि हां, तो उनके विरूद्ध की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकारयहसुनिश्चितकरनेकेलिएप्रतिबद्धहैकिभारतमेंइंटरनेटअपनेउपयोगकर्ताओंकेलिएस्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीयऔरजवाबदेहहो। सरकारविभिन्नसाइबरखतरोंऔरचुनौतियोंकेबारेमेंपूरीतरहसेजागरूकहै। देशकीसाइबरसुरक्षास्थितिकोमजबूतकरनेऔरव्यक्तिगतडेटाकीसुरक्षाकोसक्षमकरनेकेलिएसरकारनेकईप्रमुखपहलेंकीहैं, जिनमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथनिम्नलिखित भी शामिलहैं:

i. भारतीयकंप्यूटरआपातकालीनप्रतिक्रियादल (सर्ट-इन) कोसूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 कीधारा 70खकेप्रावधानोंकेतहतसाइबरसुरक्षाघटनाओंपरप्रतिक्रियादेनेकेलिएराष्ट्रीयएजेंसीकेरूपमें नामितकियागयाहै।
ii. सर्ट-इननेअप्रैल 2022 मेंसूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 कीधारा 70खकीउपधारा (6) केअंतर्गतसुरक्षितएवंविश्वसनीयइंटरनेटकेलिएसूचनासुरक्षाप्रथाओं, प्रक्रिया, रोकथाम, प्रतिक्रियाऔरसाइबरघटनाओंकीरिपोर्टिंगसेसंबंधितसाइबरसुरक्षानिर्देशजारीकिए। साइबरसुरक्षाघटनाओंकोदेखतेहुए, सर्ट-इनसंबंधितसंगठनोंकोउपचारात्मकउपायसुझाताहै।
iii. सर्ट-इनकंप्यूटर, मोबाइलफोन, नेटवर्कऔरडेटाकीसुरक्षाकेलिएनवीनतमसाइबरखतरों/भेद्यताओंऔरप्रतिउपायोंकेसंबंधमें निरंतरअलर्टऔरसलाहजारीकरताहै।
iv. सर्ट-इननेविभिन्नमंत्रालयोंकोएकपरामर्शजारीकियाहैजिसमेंसंवेदनशीलव्यक्तिगतडेटायासूचनासहितडिजिटलव्यक्तिगतडेटायासूचनाकाप्रसंस्करणकरनेवालीसभीसंस्थाओंद्वारासाइबरसुरक्षाकोमजबूतकरनेकेलिएउठाएजानेवालेउपायोंकीरूपरेखाबताईगईहै।
v. साइबरस्वच्छताकेंद्र (सीएसके) सर्ट-इनद्वाराप्रदानकीजानेवालीएकनागरिक-केंद्रितसेवाहै, जोस्वच्छभारतकेदृष्टिकोणकोसाइबरस्पेसतकविस्तारितकरतीहै। साइबरस्वच्छताकेंद्रबॉटनेटक्लीनिंगऔरमैलवेयरविश्लेषणकेंद्रहैऔरदुर्भावनापूर्णप्रोग्रामोंका

पतालगानेमेंमददकरताहैऔरउन्हेंहटानेकेलिएनिःशुल्कउपकरणप्रदानकरताहैऔरनागरिकोंऔरसंगठनोंकेलिएसाइबरसुरक्षायुक्तियाँऔरसर्वोत्तमअभ्यासभीप्रदानकरताहै ।

vi. सर्ट-
इननेसाइबरहमलोंऔरसाइबरआतंकवादकामुकाबलाकरनेकेलिएएकसाइबरसंकटप्रबंधन योजनातैयारकीहैजिसेकेंद्रसरकारकेसभीमंत्रालयों/विभागों,
राज्यसरकारोंऔरउनकेसंगठनोंतथामहत्वपूर्णक्षेत्रोंद्वाराकार्यान्वितकियाजाएगा।

vii. भारतीयविशिष्टपहचानप्राधिकरण (यूआईडीएआई)
नेआधारसंख्याधारकोंकेव्यक्तिगतडेटाकीसुरक्षाकेलिएव्यापकउपायकिएहैं।
इसनेकेंद्रीयपहचानडेटारिपॉजिटरी (सीआईडीआर)
डेटाबेसकीसुरक्षाकेलिएगहनसुरक्षाअवधारणाकेसाथबहु-
स्तरीयसुरक्षाबुनियादीढांचेकोलागूकियाहैऔर
यूआईडीएआईसिस्टमकीसुरक्षाकेलिएलगातारइसकीसमीक्षा/ऑडिटकरताहै।
इसकेअलावा,
सीआईडीआरकोएकसंरक्षितप्रणालीकेरूपमेंघोषितकियागयाहैऔरराष्ट्रीयमहत्वपूर्णसूचना अवसंरचनासंरक्षणकेंद्रअपनीसाइबरसुरक्षास्थितिकोबनाएरखनेकेलिएनिरंतरआधारपरसुरक्षाइनपुटप्रदानकरताहै।
यूआईडीएआईट्रांसमिशनऔरस्टोरेजमेंडेटाकीसुरक्षाकेलिएउन्नतएन्क्रिप्शनतकनीकोंकाउपयोगकरताहै।

viii. सर्ट-इनद्वाराकार्यान्वितराष्ट्रीयसाइबरसमन्वयकेंद्र (एनसीसीसी)
देशमेंसाइबरस्पेसकोस्कैनकरनेऔरसाइबरसुरक्षाखतरोंकापतालगानेकेलिएनियंत्रणकक्षकेरूपमेंकार्यकरताहै।
एनसीसीसीसाइबरसुरक्षाखतरोंकोकमकरनेकेलिएकार्रवाईकरनेकेलिएसाइबरस्पेससेमेटाडेटासाझाकरकेविभिन्नएजेंसियोंकेबीचसमन्वयकीसुविधाप्रदानकरताहै।

ix. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने भेद्यताओं को दूर करने और वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्ट-इन-पैनल वाली एजेंसियों के माध्यम से सरकारी वेबसाइटों, एप्लिकेश्न्स और होस्टिंग बुनियादी ढांचे की आवधिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दी है।

x. सर्ट-इन नेसितंबर 2023 मेंसुरक्षितएप्लिकेशनडिजाइन, विकासऔरकार्यान्वयनऔरसंचालनकेलिएदिशानिर्देशजारीकिए। सर्ट-इन नेअक्टूबर 2024 मेंसंस्थाओं, विशेषरूपसेसार्वजनिकक्षेत्र, सरकार, आवश्यकसेवाओं, सॉफ्टवेयरनिर्यातऔरसॉफ्टवेयरसेवाउद्योगमेंशामिलसंगठनोंकेलिएसॉफ्टवेयरबिलऑफमैटेरियल्स (एसबीओएम)
दिशानिर्देशभीजारीकिएहैंताकिसंगठनोंकोयहजाननेमेंमददमिलसकेकिउनकेसॉफ्टवेयरयापरिसंपत्तियोंमेंकौनसेघटकहैंजिससेभेद्यताओं
कीपहचानकरनाऔरउन्हेंठीककरनाआसानहोजाताहै।

xi. सर्ट-इन नेसूचनासुरक्षासर्वोत्तमप्रथाओंकेकार्यान्वयनकासमर्थनऔरलेखापरीक्षाकरनेकेलिए 155 सुरक्षालेखापरीक्षासंगठनोंकोसूचीबद्धकियाहै।

xii. यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिअधिकृतभुगतानप्रणालीऑपरेटरों (पीएसओ)
द्वाराभुगतानप्रणालीकोसुरक्षित,
सुदृढ़औरकुशलतरीकेसेसंचालितकरनेकेलिएप्रौद्योगिकीकाउपयोगकियाजाए,
भारतीयरिजर्वबैंक (आरबीआई)
नेसभीपीएसओकोनिर्देशदियाथाकिवेअपनेभुगतानप्रणालीकावार्षिकआधारपरसर्ट-इन केसूचीबद्धलेखापरीक्षकोंसेऑडिटकराएंऔरअपनेसंबंधितवित्तीयवर्षकीसमाप्तिकेदोमहीनेकेभीतरआरबीआईकोरिपोर्टप्रस्तुतकरें।

xiii. डेटासुरक्षासुनिश्चितकरनेकेलिए, सूचनाप्रौद्योगिकी (उचितसुरक्षाअभ्यासऔरप्रक्रियाएँतथासंवेदनशीलव्यक्तिगतडेटायासूचना) नियम, 2011 ('एसपीडीआईनियम')
संवेदनशीलव्यक्तिगतडेटायासूचनाकोसंभालनेवालेअनुपालनकरनेवालेनिकायकॉर्पोरेटयाउसकीओरसेकिसीभीव्यक्तिकेलिएउचितसुरक्षाअभ्यासऔरप्रक्रियाएँअनिवार्यकरताहै।
निकायकॉर्पोरेटयाउसकीओरसेकिसीभीव्यक्तिकोऐसीजानकारीएकत्रकरनेसेपहलेउपयोगकेवैधउद्देश्यकेबारेमेंऐसीजानकारीकेप्रदातासेलिखितसहमतिप्राप्तकरनीहोगी।

xiv. इसकेअलावा,

व्यक्तियोंकेव्यक्तिगतडेटाकीसुरक्षाकरनेऔरयहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिउनकाडेटाकेवल उनकीसहमतिसेहीसाझाकियाजाए, डिजिटलव्यक्तिगतडेटासंरक्षणअधिनियम, 2023 (डीपीडीपीअधिनियम) लागूकियागयाहै। डीपीडीपीअधिनियमकाउद्देश्य ई-कॉमर्सक्षेत्रमेंउपभोक्ताओंसहितव्यक्तियोंकेव्यक्तिगतडेटाकीसुरक्षाकरनाऔरवैधउद्देश्योंके लिएव्यक्तिगतडेटाकाप्रसंस्करणसुनिश्चितकरनाहै।

डीपीडीपीअधिनियममेंउल्लेखकियागयाहैकिव्यक्तिगतडेटाकेप्रसंस्करणकेलिएउचिततक नीकीऔरसंगठनात्मकउपायोंकोलागूकियाजानाचाहिएऔरकिसीभीव्यक्तिगतडेटाउल्लंघन कोरोकनेकेलिएउचितसुरक्षाउपायकिएजानेचाहिए।

****